



न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सलूमबर जिला सलूमबर (राज.)

पीठासीन अधिकारी –जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 08/24/सरफैसी (जी.सी.एम.एस-2024/8)

मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय-27-ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई तथा शाखा कार्यालय-16, 17, 18 कॉरपोरेशन बैंक के उपर, नगर पालिका लिंक रोड उदयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री केशव व्यास.

.....प्रार्थी

बनाम

- 1 प्रकाश कुमार लखारा पुत्र श्री शंकर लाल पता-51, ग्राम परसाद सराडा, गर्ल्स स्कूल के पास, जिला सलूमबर, (राजस्थान)-313801,
- 2 श्रीमती माया लखारा पत्नी श्री प्रकाश कुमार लखारा पता-51, ग्राम परसाद, सराडा, गर्ल्स स्कूल के पास, जिला सलूमबर, (राजस्थान)-313801।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश

दिनांक: 12.06.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 10,00,000/- रूपये एवं 1,50,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद(खसरा नम्बर 5896/4645, ग्राम परसाद, ग्राम पंचायत परसाद तहसील सराडा जिला सलूमबर राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 22.11.2023 तक 12,26,145/-रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

js

जिला कलक्टर
सलूमबर (राज.)



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को 10,00,000/- रूपये एवं 1,50,000/-रूपये की की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 22.11.2023 तक 12,26,145/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटार्इजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फार्इनेन्सियल एरोट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (खसरा नम्बर 5896/4645, ग्राम परसाद, ग्राम पंचायत परसाद तहसील सराडा जिला सलूमबर राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, सलूमबर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(जसमीत सिंह संधू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सलूमबर